

## झारखण्ड वधानसभा ने दोबारा पास किया डोमसिाइल बलि

### चर्चा में क्यों?

21 दसिंबर 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार झारखंड वधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमिअभलिख पर आधारति डोमसिाइल बलि को पास कर दया गया है।

### प्रमुख बदि

- इस डोमसिाइल बलि में लोगों की नवासि स्थति को नरिधारति करने के लिए 1932 के भूमिअभलिखों को मान्यता प्रदान की गई है ।
- इस बलि में यह प्रावधान है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतयान (भूमि रिकॉर्ड) में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय नवासी माना जाएगा ।
- इसी के आधार पर ही वे प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे ।
- वदिति हो कि ध्वनभित से पारति डोमसिाइल बलि को हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दया था ।
- झारखण्ड सरकार ने 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र के दौरान झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमसिाइल वधियक 2022 पारति कया था, जिसे 1932 खतयान बलि के रूप में भी जाना जाता है ।